न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ...... एच०जे०एस०

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 65/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 1189/2026]

[CNR No. UPFZ010034982026]

संजीव कुमार गुप्ता पुत्र गजेन्द्र पाल गुप्ता, निवासी बी–466, जी०डी० कालोनी, मयूर विहार फेज़ 3 ईस्ट दिल्ली।

.........आवेदक

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश .... विपक्षी

---

1. आवेदक की तरफ से अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 65/2026, मुकदमा अपराध संख्या 318/2024, अन्तर्गत धारा 419, 420, 465, 471 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है।

2. आवेदक के अनुसार उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

3. आवेदक की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। मामले में आरोपपत्र प्रेषित है। उसकी गिरफ्तारी की पूर्ण सम्भावना है। सह अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय से स्वीकृत है। उसका केस भी सह अभियुक्तगण के समान है। अपराध अधिकतम सात वर्ष तक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

4. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा आवेदक की अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

5. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया गया।

6. प्रकरण की एफ०आई०आर० प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० के माध्यम से पंजीकृत करायी गयी है। अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक व अन्य अभियुक्तगण द्वारा आपस में मिलकर सुनियोजित तरीके से षडयन्त्र रचकर वादी को बिना किसी सूचना व कार्यवाही के दिनांक 08.01.2024 को विश्वविद्यालय से मिलीभ्झगत करके जी०एस० कालेज ऑफ ला ग्राम गड़ई, तहसील बीकापुर के प्रबन्धक पद व ट्रस्ट

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.06.05 16:54:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के संस्थापक सचिव पद से हटाने का आरोप है। एफ०आई०आर० के अनुसार अभियुक्त पक्ष व वादी के मध्य उत्पन्न उक्त विवाद सिविल प्रकृति का होना दर्शित है। मामले में आरोपपत्र प्रेषित है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई सारवान तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता कि यदि अग्रिम जमानत पर आवेदक को अवमुक्त जाए तो वह गवाहों को तोड़ेगा, प्रभावित करेगा, विचारण में हस्तक्षेप करेगा अथवा कहीं बाहर पलायित करेगा। सह अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत पूर्व में सत्र न्यायालय से स्वीकृत है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये अग्रिम जमानत का संतोषजनक आधार है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 65/2026, मुकदमा अपराध संख्या 318/2024, अन्तर्गत धारा 419, 420, 465, 471 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या के अभियोग में स्वीकार किया जाता है।

आवेदक द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर निर्धारित शर्तों के अधीन मुकदमें के निस्तारण तक जमानत पर अवमुक्त किया जाए–

(i) आवेदक विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 05.06.2026